न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

करण संख्या :—31 / 2021 / दावा / बउनवान / नृसिंह लाल बनाम घनश्याम

ोसीएमएस संख्या 2021 / 35

1. नृसिंहलाल पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

...........वादिगण

बनाम

1. शिमलाबाई पुत्री दोलीबाई जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.................प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 91, 188, आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री अमित कुमार गौड

वकील प्रतिवादी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांक: 16.02.2021 निर्णय दिनांक : 06.03.2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह कि वादी कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल का स्थायी निवासी है जो अपना कृषि कार्य व मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। वादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :—

घनश्याम पुत्र नोन्दा (फौत)
↓
नृसिंहलाल (पुत्र)

2. यह कि वादी के पिता घनश्याम पुत्र नोन्दा जाति माली निवासी मांगरोल ने प्रतिवादी क्रम 1 की नानी मथरीबाई बेवा शंकरलाल जाति माली निवासी मांगरोल से दिनांक 01.08.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र उपपंजीयक मांगरोल के समक्ष ग्राम मांगरोल की साबिक खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा भूमि 300 / रू0 में खरीद की थी, उक्त आराजी खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा खरीदने के पश्चात वादी के पिता उक्त आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करने लग गये तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर स्वयं वादी काश्त करने लग गया तथा वर्तमान में भी वादी ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित साबिक खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा के वर्तमान नवीन खसरा नं0. 2709 रकबा 0.07 हे0, दर्ज किये गये हैं।
3. यह कि वादी के पिता घनश्याम पुत्र नोन्दा एक अनपढ व्यक्ति थे जो राजस्व विभाग के नियमों व प्रकिया से अनभिज्ञ थे तथा दिनांक 01.08.1967 को आराजी खसरा नं0. साबिक 1944 रकबा 12 बिस्वा खरीदने के बाद उक्त रजिस्टर्ड खरीद शुदा आराजी पर काबिज हा गये लेकिन नासमझी में अपने नाम इन्तकाल दर्ज नहीं करवा सके तथा वादी भी अशिक्षित था जो पिता की मृत्यु के बाद उक्त खरीद शुदा आराजी पर इन्तकाल नहीं खुलवा सका उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज हो गयी जो पूर्व खातेदार मथरीबाई की नातिन है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

4. यह कि वादी ने कई बार उक्त खरीद शुदा आराजी खसरा नं0. साबिक 1944 रकबा 12 बिस्वा के नवीन खसरा नं0. 2709 रकबा 0.07 हे0. को अपने नाम दर्ज करवाने को प्रतिवादी कम 1 से कहा लेकिन प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनीयति आ जाने के कारण उसने उक्त आराजी को वादी के नाम करवाने से मना कर दिया है।

5. यह कि ग्राम मांगरोल में स्थित उक्त वर्णित आराजी साबिक खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा वर्तमान खसरा नं0. 2709 रकबा 0.07 हे0. पर वादी के पिता का सन 1967 से कब्जा चला आ रहा है तथा उनकी मृत्यु बाद से वादी उक्त वर्णित आराजी पर आज तक लगातार निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है जिसके कब्जे काश्त को आज तक किसी ने चैलेन्ज नही किया है इसलिए वादी उक्त वर्णित आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का कानूनन अधिकारी है।

6. यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त खरीद शुदा आराजी को उसके नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनीयति आने से वह उक्त वर्णित आराजी को वादी के नाम नहीं करवा रही है तथा अन्तिम बार दिनांक 18.01.2020 को उक्त वर्णित आराजी को वादी के नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादी कम 1 से कहने पर उसके द्वारा आराजी को नाम कराने से स्पष्ट मना करने पर वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 2 को भू–धारक होने से वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को विधिक नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. मियाद 2 माह जरिये अधिवक्ता प्रेषित करवा दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 का नाम उक्त वर्णित आराजी में दर्ज होने से वह आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है इसलिए मियाद नोटिस इन्तजार किया जाना संभव नहीं है तथा वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना–पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के साथ पेश किया जा रहा है।

8. यह कि वाद कारण दिनांक 18.01.2020 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त आराजी का उसके नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी वादी के नाम दर्ज करवाने की स्पष्ट मना करने पर कस्बा मांगरोल जिला बारां में उत्पन्न हुआ है।

9. यह कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित होने से वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

10. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुणा कायम किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे

(अ) यह कि कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित आराजी हाल खसरा नं0. 2709 रकबा 0.07 हे0, आराजी पर से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 01.08.1967 के आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 का हटाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम 2 को आदेश दिया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवायी जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण 16.02.2021 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 द्वारा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा स्वयं का लिखित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल त्रावली है। वकील वादी द्वारा प्रदर्श 1 नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम मांगरोल दिनांक 17.08.2020, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1100 ग्राम मांगरोल, प्रदर्श 3 नकल नक्शा ट्रेस एवं प्रदर्श 4 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2017 न्यायालय में प्रदर्श करवाए।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय फर्द दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं मनन करने पर पाया कि वादी के पिता घनश्याम पुत्र नोन्दा जाति माली निवासी मांगरोल ने प्रतिवादी क्रम 1 की नानी मथरीबाई बेवा शंकरलाल जाति माली निवासी मांगरोल से दिनांक 01.08.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र उपपंजीयक मांगरोल के समक्ष ग्राम मांगरोल की साबिक खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा भूमि 300/रू0 में खरीद की थी, उक्त आराजी खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा खरीदने के पश्चात वादी के पिता उक्त आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करने लग गये। वादी के पिता घनश्याम पुत्र नोन्दा एक अनपढ़ व्यक्ति थे जो राजस्व विभाग के नियमो व प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे तथा दिनांक 01.08.1967 को आराजी खसरा नं0. साबिक 1944 रकबा 12 बिस्वा खरीदने के बाद उक्त रजिस्टर्ड खरीदशुदा आराजी पर काबिज हो गये लेकिन नासमझी में अपने नाम इन्तकाल दर्ज नहीं करवा सके तथा वादी भी अशिक्षित था जो पिता की मृत्यु के बाद उक्त खरीदशुदा आराजी पर इन्तकाल नहीं खुलवा सका। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज हो गयी जो पूर्व खातेदार मथरीबाई की नातिन है। वादी ने कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त खरीद शुदा आराजी को उसके नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बदनीयति आने से वह उक्त वर्णित आराजी को वादी के नाम नहीं करवा रही है। इस प्रकार प्रदर्श दस्तावेज एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादी के पिता घनश्याम पुत्र नोन्दा जाति माली निवासी मांगरोल ने प्रतिवादी क्रम 1 की नानी मथरीबाई बेवा शंकरलाल जाति माली निवासी मांगरोल से दिनांक 01.08.1967 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र उपपंजीयक मांगरोल के समक्ष ग्राम मांगरोल की साबिक खसरा नं0. 1944 रकबा 12 बिस्वा भूमि 300/रू0 में खरीद की थी किन्तु जानकारी के अभाव में विक्रय पत्र का इंतकाल नही खुलवाया। वादी उक्त विवादित आराजी खसरा नं. 2709 रकबा 0.07 हे0 वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल पर प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटवाकर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने एवं पृथक से राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करवाने की अधिकारी है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली एवं दस्तावेजात के ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील एकपक्षीय बहस के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आराजी खसरा नं. 2709 रकबा 0.07 हे0, वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाकर वादी नृसिंहलाल पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी मांगरोल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

ज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S. उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

करण संख्या :–31/2021/दावा/बउनवान/नृसिंह लाल बनाम घनश्याम

सीसीएमएस संख्या 2021/35

निर्णय दिनांक :–06.03.2025

बउनवान:–

1. नृसिंहलाल पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

...........वादी

बनाम

1. शिमलाबाई पुत्री दोलीबाई जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.................प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89,90, 91, 188, आर.टी.एक्ट

वकील वादी : श्री अमित कुमार गौड

वकील प्रतिवादी : श्री मनोज कुमार गालव

वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.03.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा। पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि आराजी खसरा नं. 2709 रकबा 0.07 हे0, वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी से प्रतिवादी कम 1 का नाम हटाकर वादी नृसिंहलाल पुत्र घनश्याम जाति माली निवासी मांगरोल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

Scanned by CamScanner

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
अर्जीदावा	....			स्टाम्पअर्जीदावा	....		
वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
ना वकील	....			महनताना वकील	....		
गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
इजराय हुकमनामा	....			बबत इजराय हुकमनामा	....		
र्रिक	....			मुतफर्रिक	....		
ा	....			मीजान	....		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सेहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अंजना सेहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner